



2026:RJ-JP:9160

[2026:RJ-JP:9160]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 464/2026

Manish Ravindra Jha S/o Shri Ravindra, Aged About 30 Years,
R/o B-01, Om Swami Jananadh CHS, Manvel Pada Road, Behind
Ashraya Hotel, Virar East Palghar Maharashtra. (Presently The
Accused Petitioner Confined in Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3369/2026

Vadhadiya Chintan Rajendra Bhai S/o Rajendra Bhai Vadhadiya,
Aged About 33 Years, R/o Moti Marad, Police Station Patanvav
District Rajkot Gujarat 360421 Office Address- Double Slash, 4th
Floor, Arya Complex, Kalawad Road, Rajkot Gujarat. (At Present
Confined in Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tara Chand Sharma, Adv. Mr. Ajit Kaswa, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु
पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा



संहिता, पुलिस थाना साईबर पुलिस थाना, ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 43, 66, 66C, 66D, 70, 72 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम व 303 (2), 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा दिनांक 20.12.2025 से व प्रार्थी/अभियुक्त वाधडिया चिंतन राजेन्द्र भाई 23.01.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने वेबसाईट बनाकर सहअभियुक्त अमित राधेश्याम मौर्य को दी, जिसके एवज में उसने 10,000/- रुपये प्राप्त किये। सहअभियुक्त अमित राधेश्याम मौर्य का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई साईबर अपराध व ठगी नहीं की है ना ही कोई अनुचित राशि का लाभ प्राप्त किया है। प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।



मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सहअभियुक्त अमित राधेश्याम मौर्य अपने साथियों से मिलकर राजस्थान पुलिस के एप राजकोप वेबसाइट के माध्यम से वाहन रजिस्ट्रेशन की सूचना निकालकर कस्टमर को भेजता था। उसने प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा से वेबसाइट बनवायी थी। प्रार्थी/अभियुक्त वाधडिया चिंतन राजेन्द्र भाई पर यह आरोप है कि उसने पुलिस के ऑफिशियल एप राजकोप पर उपलब्ध डाटा एपीआई को चुराकर अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लेकर सहअभियुक्त अमित राधेश्याम मौर्य को उपलब्ध करवाया। सहअभियुक्त अमित राधेश्याम मौर्य का जमानत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा दिनांक 20.12.2025 से व प्रार्थी/अभियुक्त वाधडिया चिंतन राजेन्द्र भाई 23.01.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी/अभियुक्त मनीष रविन्द्र झा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त वाधडिया चिंतन राजेन्द्र भाई के विरुद्ध अभी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मनीष रविन्द्र झा पुत्र रविन्द्र झा**
2. वाधडिया चिंतन राजेन्द्र भाई पुत्र राजेन्द्र भाई वाधडिया की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती



2026:RJ-JP:9160

[2026:RJ-JP:9160]

(4 of 4)

[CRLMB-464/2026]

न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /31-32